



-:प्रेस नोट:-

दिनांक-07.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- क्रूरतापूर्वक वाहन में क्षमता से अधिक बेजुबान पशुओं को लादकर ले जाते समय 07 अभियुक्तों को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- एक ट्रक, पिक-अप व डीसीएम में 08 भैंसे व 51 पड़वा लेकर सीधी म0प्र0 से फतेहपुर ले जा रहे थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान थाना कालिंजर क्षेत्र के बसराही तिराहे से किया गया गिरफ्तार।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अम्बुजा त्रिवेदी के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07.02.2025 को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान थाना कालिंजर क्षेत्र के बसराही तिराहे से 07 अभियुक्तों को तीन वाहनों एक ट्रक, पिक-अप व एक डीसीएम में क्रूरतापूर्वक पशुओं को लादकर ले जा रहे कुल 08 भैंसे व 51 पड़वा बरामद किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि सभी पशुओं को जिगना (म0प्र0) से जनपद फतेहपुर ले जा रहे थे।

बरामदगी-

- 08 नग भैंसे व 51 नग पड़वा
- 01 ट्रक (परिवहन में प्रयुक्त)
- 01 पिक-अप (परिवहन में प्रयुक्त)
- 01 डीसीएम (परिवहन में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. असरफ अली पुत्र सौकत अली वर्ष निवासी टीकारिया स्टेशन थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट।
2. सुमित सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी भियामऊ थाना बरौधा जिला सतना (म0प्र0)।
3. मुख्तार अहमद पुत्र मकबूल निवासी रायपुर मुआरी थाना हथगांव जिला फतेहपुर।
4. सद्दाम पुत्र मोहम्मद सहिद 26 वर्ष निवासी बुढार जनपद सहडोल (म0प्र0)।
5. जाउदीन पुत्र रज्जन उर्फ रमजान 29 वर्ष निवासी पुकारी थाना नरैनी जनपद बांदा।
6. इब्राहिम खान पुत्र मो0 खलील निवासी केशवाही थाना बुढार जिला सहडोल (म0प्र0)।
7. इस्लाम पुत्र मो0 हुसैन उम्र 21 वर्ष निवासी केशवाही थाना बुढार जिला सहडोल (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 14/25 धारा 11(1)(डी) पशु क्रूरता निवारण अधि0 1960 थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कालिंजर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
2. श्री कृष्ण प्रताप सिंह चौकी प्रभारी गुढाकला
3. कां0 शिवम प्रताप सिंह
4. कां0 राहुल कुमार